फा.सं. 142/8/2016-टीपीएल
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
(टी पी एल डिवीज़न)
****

दिनांक 27 जून, 2016

आय घोषणा योजना, 2016 के संबंध में स्पष्टीकरण

आय घोषणा योजना, 2016 (यहां इसके पश्चात् 'योजना' के रूप में उल्लिखित) जिसे वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय IX के तौर पर सम्मिलित किया गया है, उन व्यक्तियों को आगे आने और अपनी अघोषित आय की घोषणा करने तथा घोषित की गई उक्त अघोषित आय का कुल 45% कर, अधिभार तथा शास्ति (Penalty) के रूप में अदा करने का अवसर प्रदान करती है जिन्होंने पूर्व में पूर्ण कर का भुगतान नहीं किया है । आय घोषणा योजना नियम, 2016 (यहां इसके पश्चात् 'नियमावली' के रूप में उल्लिखित) अधिसूचित किए जा चुके हैं । इस संबंध में, बोर्ड द्वारा जारी 2016 के परिपत्र सं.17 दिनांक 20 मई, 2016 में 14 प्रश्नों के स्पष्टीकरण दिए गए हैं| इसके बाद योजना के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जनता से और प्रश्न प्राप्त हुए हैं | बोर्ड द्वारा उन पर विचार किया गया और निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं:-

प्रश्न सं.1: ***यदि 30.11.2016 से पहले इस योजना के अंतर्गत अघोषित आय पर देय कर, अधिभार और शास्ति (पेनल्टी) का केवल आंशिक भुगतान(पार्ट पेमेंट) किया जाता है तो क्या वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 187(3) के अनुसार पूरी घोषणा अमान्य होगी या आनुपातिक घोषणा जिस पर कर, अधिभार और शास्ति अदा कर दी गई है, वह मान्य रहेगी ?***

उत्तर: आंशिक भुगतान के मामले में, इस योजना के अंतर्गत की गई संपूर्ण घोषणा अमान्य होगी | इस योजना के अंतर्गत घोषणा तभी मान्य होगी जब कर, अधिभार और शास्ति का पूरा भुगतान 30.11.2016 को या उससे पहले कर दिया जाता है |

प्रश्न सं.2 : ***समामेलन (Amalgamation) के मामले में या कंपनी के एल.एल.पी. में परिवर्तन के मामले में, समामेलित संस्था या एल.एल.पी., जैसा भी मामला हो, समामेलना/परिवर्तन से पहले के वर्ष के लिए घोषणा करना चाहती है, तब क्या घोषणा समामेलित संस्था/एल.एल.पी. के नाम से फाइल की जाएगी या समामेलित होने वाली कंपनी या एल.एल.पी. में परिवर्तन से पूर्व स्थित कंपनी के नाम से फाइल की जाएगी ?***

उत्तर: चूंकि समामेलित होने वाली कंपनी या एल.एल.पी. में परिवर्तन से पूर्व कंपनी अब अस्तित्व में नहीं है और ऐसी पूर्ववर्ती संस्थाओं की आस्तियों /देयताओं को समामेलित कंपनी/एल.एल.पी. द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया है, तो जिस वर्ष में समामेलन/परिवर्तन हुआ है उस वर्ष में समामेलित कंपनी या एल.एल.पी., जैसा भी मामला हो, के नाम से घोषणा की जाएगी |

प्रश्न सं. 3 : ***क्या यह योजना केवल निवासियों (residents) के लिए ही लागू है या अनिवासियों (non-residents) के लिए भी है?***

उत्तर : योजना सभी व्यक्तियों के लिए लागू है, चाहे वे निवासी हों या अनिवासी ।

प्रश्न सं. 4 : ***यदि निर्धारण वर्ष 2016-17 से पहले के निर्धारण वर्ष जैसे कि निर्धारण वर्ष 2001-02 से संबंधित अघोषित आय का इस योजना के समाप्त होने के बाद पता लगता है, तो इस प्रकार पता लगाई गई उस अघोषित आय का क्या परिणाम होगा ?***

उत्तर : वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 197(c) के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारण वर्ष 2001-02 की ऐसी आय का निर्धारण उस वर्ष में किया जाएगा, जिस वर्ष में निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 148 या 153A या 153C, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया हो। इसके अतिरिक्त, यदि किसी आस्ति में निवेश के रुप में अघोषित आय का पता लगता है तो उस आस्ति का मूल्य वह होगा जैसे कि वह आस्ति उस वर्ष अर्जित की गई या बनाई गई हो जिस वर्ष में धारा 148/ 153A/ 153C के अंतर्गत नोटिस जारी हुआ तथा नियमावली के नियम 3 के अनुसार उसका मूल्य निर्धारित किया जाएगा ।

प्रश्न सं. 5 ***यदि किसी व्यक्ति के यहाँ अप्रैल, 2016 में तलाशी की कार्यवाही हई हो, परन्तु 31.5.2016 तक धारा 153A के अंतर्गत नोटिस न दिया गया हो तो क्या वह इस योजना के अंतर्गत अघोषित आय की घोषणा कर सकता है ?***

उत्तर : नहीं, इस प्रकार के मामलों में धारा 153A के अंतर्गत नोटिस जारी करने का समय समाप्त नहीं होता है । इसलिए वह व्यक्ति उस निर्धारण वर्ष के लिए इस योजना का लाभ उठाने का पात्र नहीं होगा, जिसमें धारा 153A के अंतर्गत नोटिस जारी किया जा सकता है ।

प्रश्न सं. 6: ***2016 के परिपत्र सं. 17 के प्रश्न सं. 14 के अनुसार, मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य नहीं है / लेकिन फार्म-1 में बताया गया है' मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करें ' इसका क्या अर्थ लगाया जाए ?***

उत्तर : घोषणाकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करे, लेकिन फार्म-1 में की गई घोषणा के साथ इसे संलग्न करना उसके लिए अनिवार्य नहीं है । लेकिन क्षेत्राधिकारी प्रधान आयुक्त / आयुक्त फार्म-1 में घोषित की गई आस्ति के मूल्य की सत्यता जांचने के क्रम में फार्म -2 में पावती जारी करने से पहले, घोषणाकर्ता से मूल्यांकन रिपोर्ट दाखिल करने की मांग कर सकता है ।

प्रश्न सं. 7: ***क्या घोषणा के फार्म में स्थाई लेखा संख्या (पैन) का उल्लेख करना अनिवार्य है ?***

उत्तर : हॉ, प्रत्यक्ष कर के सभी उद्देश्यों के लिए पैन एक अनन्य (unique) पहचान है । इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभों तथा उन्मुक्ति (immunities) का दावा करने के लिए भी यह आवश्यक है ।

प्रश्न सं. 8: ***यदि समझौता आयोग के समक्ष कोई कार्यवाही लंबित है, तो क्या कोई व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा ?***

उत्तर : नहीं, कोई व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत उन निर्धारण वर्षों के लिए पात्र नहीं होगा, जिसके लिए कार्यवाही समझौता आयोग में लंबित है।

प्रश्न सं. 9 : ***निर्धारिती द्वारा वर्ष 2001 में निर्धारित आय से भूमि अर्जित की गई तथा उसे नियमित रुप से आयकर विवरणी में घोषित भी किया गया है। वर्ष 2014 में उस भूमि पर भवन का निर्माण किया गया किन्तु भवन निर्माण की लागत को निर्धारिती ने घोषित नहीं किया । इस योजना के परिप्रेक्ष्य से उस भवन का उचित बाजार मूल्य क्या होगा ?***

उत्तर : ऐसे मामलों में भूमि तथा भवन के उचित बाजार मूल्य की गणना निर्धारित आय से अर्जित आस्ति के मामले में आनुपातिक कटौती देते हुए नियम 3 (2) के अनुसार की जाएगी ।

प्रश्न सं. 10: ***क्या ऐसे मामले जहॉ विभाग द्वारा धारा 131(1A) के अंतर्गत समन (Summons) जारी किए गए हैं अथवा नान-फाईलर मोनिटरिंग सिस्टम (NMS) के अंतर्गत अथवा धारा 133(6) के अंतर्गत पत्र जारी किए गए हैं, वे इस योजना के लिए पात्र हैं ?***

उत्तर : ऐसे मामले जहॉ विभाग द्वारा धारा 131(1A) के अंतर्गत समन जारी किए गए हैं अथवा एन.एम.एस. के अंतर्गत अथवा धारा 133(6) के अंतर्गत पूछताछ संबंधी पत्र जारी किए गए हैं, लेकिन वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 142 या 143 (2) या 148 या 153A या 153C के अंतर्गत नोटिस (जैसा वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 196(e) में उल्लिखित है) जारी नहीं किया गया है, इस योजना के लिए पात्र हैं।

प्रश्न सं. 11 ***यदि धारा 142, 143(2) या 148 के अंतर्गत 31.05.2016 के बाद नोटिस जारी किए जाते हैं तथा निर्धारिती इस योजना के अंतर्गत घोषणा करता है, तो इन नोटिसों का क्या परिणाम होगा?***

उत्तर : दिनांक 20.5.2016 के व्याख्यात्मक परिपत्र सं. 17 में स्पष्ट किया गया है, वह व्यक्ति उस निर्धारण वर्ष के लिए इस योजना का पात्र नहीं है, जिसके लिए उसे 31.5.2016 को अथवा उससे पहले धारा 142, 143 (2) या 148 के अंतर्गत नोटिस प्राप्त हुआ है । ऐसे मामले में जहॉ नोटिस उपर्युक्त तारीख के बाद प्राप्त हुआ है, उसमें निर्धारिती इस योजना के अंतर्गत उस निर्धारण वर्ष के लिए घोषणा करने हेतु पात्र है। ऐसी घोषणा तभी मान्य होगी जब इसमें तथ्यों को छिपाया नहीं गया हो या गलत प्रस्तुतीकरण नहीं किया हो तथा इस योजना के अंतर्गत देय राशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत किया गया हो । घोषणाकर्ता द्वारा यह प्रस्तुत करने पर प्रधान आयुक्त / आयुक्त द्वारा फार्म-4 में निर्धारण अधिकारी को जारी प्रमाण-पत्र, धारा 142, 143 (2) या 148 के अंतर्गत जारी नोटिस से आरंभ हुई कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी ।

(डा. टी.एस. मपवाल)
अवर सचिव, भारत सरकार

<u>प्रतिलिपि प्रेषित -</u>

1. वित्त मंत्री के निजी सचिव/ वित्त मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी/ राज्य मंत्री (राजस्व) के विशेष कार्य अधिकारी ।
2. सचिव (राजस्व) के निजी सचिव ।
3. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य तथा अवर सचिव व उससे ऊपर के स्तर के सभी अन्य अधिकारीगण ।
4. सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/ प्रधान आयकर महानिदेशक को इस अनुरोध के साथ कि इसे अपने क्षेत्र/ प्रभार के सभी अधिकारियों में परिचालित करवाएं।
5. प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति)/ प्रधान आयकर महानिदेशक (सतर्कता)/ प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रशासन)/ प्रधान आयकर महानिदेशक (राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी) / प्रधान आयकर महानिदेशक (विधि एवं अनुसंधान)
6. आयकर आयुक्त (एम व टी.पी.), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।
7. विभागीय वेबसाइट पर डालने हेतु वेब मेनेजर को ।